



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052026-272886  
CG-DL-E-26052026-272886

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2574]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज्येष्ठ 5, 1948

No. 2574]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

का.आ. 2666(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में कार्य प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 11 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

## तालिका

(1)	(2)	(3)
"12	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 183ए, एनएच संख्या 185 और एनएच संख्या 966बी के उतने भाग, जो केरल राज्य में अवस्थित हैं।	केरल राज्य सरकार"

[फा. सं. एनएच- 14013/9/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का.आ.2158 (अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2026 द्वारा किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2026

**S.O. 2666(E).**— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Table

(1)	(2)	(3)
"12	So much of New National Highways No. 183A, NH No. 185 and NH No. 966B as are situated within the State of Kerala.	State Government of Kerala.

[F. No. NH-14013/9/2026-P&amp;M]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005 and was last amended vide number S.O. 2158(E), dated the 30<sup>th</sup> April 2026.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

**का.आ. 2667(अ).**— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

## तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	चैनेज
(1)	(2)	(3)
एनएच-183 (पुराना एनएच-220)	तमिलनाडु/केरल सीमा - कुमिली - परिमद - कांजीरापल्ली - कोट्टायम - चेगन्नूर - कोल्लकडावु - चक्कुवल्ली - अंचलम मोड - कोल्लम खंड (केरल राज्य में)	केरल राज्य में संपूर्ण एनएच
एनएच-766 (पुराना एनएच-212)	कोझिकोड - कल्पेट्टा - केरल/कर्नाटक सीमा खंड (केरल राज्य में)	केरल राज्य में संपूर्ण एनएच

[फा. सं. एनएच- 14013/9/2026-पी एंड एम]

शेख अमीनखान, निदेशक

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2026

**S.O. 2667(E).**— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

## TABLE

National Highways No.	Section of National Highways	Chainage
(1)	(2)	(3)
NH-183 (Old NH-220)	Tamil Nadu / Kerala Border – Kumily – Pirmed – Kanjirappali - Kottayam - Chegannoor – Kollakadavu – Chakkuvally - Anchalmmod - Kollam Section (In the State of Kerala)	Entire NH in the State of Kerala
NH-766 (Old NH-212)	Kozikode – Kalpetta – Kerala / Karnataka Border Section (In the State of Kerala)	Entire NH in the State of Kerala

[F. No. NH-14013/9/2026-P&amp;M]

SHAIKH AMINKHAN, Director